संख्या:26/2016/149जेएल/22-3-16-100(7)/2015

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द राठी पुत्र श्री नरेश राठी, निवासी जनपद-बागपत को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-858/सामा-1(3)/18 टी.सी./आगरा मं0/2009, दिनांक 08-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द राठी पुत्र श्री नरेश राठी, निवासी जनपद-बागपत को विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत जिला कारागार, बुलन्दशहर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या:26/2016/149जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी (इलाहाबाद)/अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in